# न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, श्रीगंगानगर

**पीठासीन अधिकारी श्री प्रेमाराम परमार, आर.ए.एस.**

**अपील संख्या 153/2016**

भादरराम पुत्र उमाराम जाति मेघवाल निवासी 29 बी.बी. तहसील पदमपुर जिला श्रीगंगानगर।

—— **अपीलार्थी**

**बनाम**

1. हीराराम पत्नी बुधराम
2. धर्मपाल पुत्र बुधराम
3. गिरधारीलाल पुत्र बुधराम

जाति मेघवाल निवासी 29 बी.बी. तहसील पदमपुर जिला श्रीगंगानगर।

4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार पदमपुर।

——रेस्पोंडेन्ट्स

अपील अर्न्तगत धारा 75 भू–राजस्व अधिनियम 1956

विरूद्ध आदेश उपखण्ड अधिकारी पदमपुर

दिनांक 26.06.2012

**उपस्थितिः–**

श्री मोहनलाल माहर , अभिभाषक अपीलांट

श्री कुलवन्त सिंह संधू , अभिभाषक रेस्पों.

श्री इकबाल सिंह सिद्धू , राजकीय अधिवक्ता

## निर्णय

दिनांक :– 09.10.2017

अपीलांट द्वारा यह अपील उपखण्ड अधिकारी पदमपुर द्वारा जारी सनद कमांक 02 दिनांक 26.06.2012 के विरूद्ध पेश की है। उक्त आदेश के द्वारा चक 29 बी.बी. के मु.नं. 2, 12, 45 तथा 59 की 28.06 बीघा भूमि की सनद हीरादेवी, परमेश्वरी, रामी उर्फ रामप्यारी, हरिया देवी, धापी देवी, रामप्यारी, सोमा देवी पुत्रीयां बुधराम, धर्मपाल, गिरधारी पि. बुधराम ब.हि.ब. जारी की गई है।

उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपनी बहस में मुख्य रूप से अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया कि विवादित भूमि अपीलांट के पिता व

9/10/17

राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर (राज.)

रेस्पों. सं. 1 के ससुर व 2, 3 के दादा उमा को पुनर्वास विभाग द्वारा जीवों के आधार पर आंवटन की गई थी। आवंटन के रोज परिवार के सदस्य के रूप में उमा स्वयं, बुध बुध, मगनी पत्नी, लक्ष्मडी पुत्री , भदरीया पुत्र तथा भजनीया पुत्र मौजूद थे। उमा की मृत्यु के पश्चात उक्त सभी ही विधिक वारिस हैं। अपीलाधीन आदेश एकपक्षीय तौर पर जारी किया गया है। उमा के वारिसान को सुनवाई का कोई अवसर नहीं दिया। बेसिक रजिस्टर में कांट–छांट कर उमा वल्द सेउ से सेउ को काट कर उपर बुधराम वल्द अंकित कर दिया। रेस्पों. के पिता ने अपने जीवनकाल में ही भूमि का बंटवारा कर लिया था। इस प्रकार अधी. न्यायालय द्वारा जो सनद जारी की गई है वह सही नहीं की है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर अपीलाधीन आदेश निरस्त किया जावे। अपने पक्ष के समर्थन में वकील अपीलांट ने आर.आर.डी. दिनांक 14.01.2012 पेज 37 , आर.आर.डी. फरवरी 2002 पेज 41, आर.आर.टी. 2006 –07 पेज 443 कर नजीरें पेश की।

विद्वान अभिभाषक रेस्पों. ने अपनी बहस में कथन किया कि सनद नियमानुसार जारी की गई है। विवादित भूमि बुधराम को आवंटन हुई थी एवं सनद भी उसके वारिसान के नाम से जारी हुई है। अधी. न्यायालय ने सभी तथ्यों की जांच करने के पश्चात ही सनद जारी की है जिसमें कोई त्रुटि नहीं है। अतः अपील अपीलांट खारिज की जावे। अपने पक्ष के समर्थन में वकील रेस्पों. ने आर. बी.जे. (21) 2014 पेज 472, आर.बी.जे. (14) 2007 पेज 438, आर.बी.जे. (19) 2012 पेज 686, आर.बी.जे. (11) 2004 पेज 535, आर.जे.टी. (2) 2015 पेज 1385, आर. बी.जे. (5) 1998 पेज 443, आर.आर.डी. 2016 पेज 1, आर.एल.आर. 1988(2) पेज 6 पेश की।

बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया।

अपील अधी. न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पदमपुर के निर्णय दिनांक 26.06.2012 क विरूद्ध पेश की गई है जिसके सम्बन्ध में इस न्यायालय की आदेशिका दिनांक 22.08.2017 द्वारा की गई query का reply प्राप्त नहीं होने से पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड अनुसार अधी. न्यायालय द्वारा Basic Register के इन्द्राजात के आधार पर दिनांक 26.06.2012 को जारी सनद को निरस्त करने का

9/10/17

राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर (राज.)

अनुतोष चाहा एवं अपील का मुख्य आधार Basic Register में कांट –छांट कर Key person उमा की बजाए बुधराम को किया जाकर आवंटन एवं सनद जारी हुई है जो खारिज योग्य है।

अधी. न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया। अपील के मूल आधार की Basic Register में कांट–छांट की वजह से गलत सनद जारी होना जाहिर किया गया है। Basic Register एक सरकारी दस्तावेज है जिसमें कांट–छांट होना Tempering of record होकर आपराधिक कृत्य है जो अन्वेषण पश्चात प्रमाणित होने पर सक्षम न्यायालय इस कृत्य में शामिल व्यक्तियें को सजा दिये जाने का प्रावधान है बाबत अपीलांट ने सीपीसी धारा 156(3) के तहत वरिष्ठ सिविल न्यायाधीन एवं अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम वर्ग पदमपुर जिला श्रीगंगानगर के न्यायालय में इस्तगासा पेश कर न्यायालय के आदेश पर पुलिस थाना पदमपुर में एफ.आई.आर. सं. 82/2015 दर्ज होना पत्रावली पर उपलब्ध है। राजस्थान पुलिस की web-site पर FIR संख्याा 82/2015 पुलिस थाना पदमपुर की दिनांक 07.10.2017 के 9.03 PM पर Status" FR put up un Court दर्शायी है अर्थात अन्वेषण एजेन्सी की जांच अनुसार रिकार्ड में कांट–छांट होना प्रमाणित नहीं हुआ है। अतः Key person बुधराम को माना जाना उचित है। उसकी मृत्यु उपरांत राज. काश्त.अधि. 1955 की धारा 40 के प्रावधान Invoke योग्य है जो नामान्तरणकरण सं. 339 दिनांक 04.07.2012 खोला जाकर स्वीकृत होना जाहिर किया है जिसमें बुधराम की पुत्रियों ने अपने हक को अपने भाईयों एवं अपनी मां के पक्ष में हक तर्क कर वर्तमान राजस्व रिकार्ड संधारित है। अतः अपील अपीलांट खारिज की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 09.10.2017 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया गया।

9/10/17

(प्रेमाराम परमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगगांनगर